

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-31122025-268951
CG-DL-E-31122025-268951

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5893]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 30, 2025/पौष 9, 1947

No. 5893]

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 30, 2025/PAUSHA 9, 1947

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
(उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 दिसम्बर, 2025

का.आ. 6093(अ).— वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के का.आ. 4255 (अ) दिनांक 29.09.2023, का.आ. 1563 (अ) दिनांक 02.04.2025 और का.आ. 2920 (अ) दिनांक 01.07.2025 और का.आ. 4524 (अ) दिनांक 03.10.2025 के क्रम में, इस बात पर पुनः बल दिया जाता है कि 1 जुलाई, 2025 से देशभर में इलेक्ट्रिक डेटोनेटर (क्लास 6 डिबीजन 3 अथवा यूएन क्लास 1 डिबीजन 1 के विस्फोटक) के विनिर्माण, कब्जे, बिक्री, उपयोग और आयात पर प्रतिबंध है।

बशर्ते कि तेल भंडार की खोज और उत्पादन के लिए तेल एवं गैस प्रचालक कम्पनियों द्वारा तेल के कुओं के लॉगिंग प्रचालनों के लिए उपयुक्त डेटोनेटरों पर यह प्रतिबंध 31 दिसम्बर, 2027 तक लागू नहीं होगा।

बशर्ते कि भारतीय सेना को आपूर्ति के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्वाइंट डेटोनेटिंग फ्यूज के उत्पादन हेतु दिनांक 31 दिसम्बर, 2026 तक कम प्रतिरोध वाले ईडी के विनिर्माण की अनुमति दी जाती है।

[फा. सं. पी-13015/45/2021-विस्फोटक-पार्ट(1)]

जय प्रकाश शिवहरे, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department for Promotion of Industry and Internal Trade)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 29th December, 2025

S.O. 6093(E).—In continuation of Ministry of Commerce & Industry, Department for Promotion of Industry and Internal Trade's S.O. Numbers 4255 (E) dated 29.09.2023, 1563 (E) dated 02.04.2025, 2920 (E) dated 01.07.2025 and 4524(E) dated 03.10.2025, it is reiterated that the manufacture, possession, sale, use and import of the electric detonator (explosive of Class 6 Division 3 or UN Class 1 Division 1) is prohibited throughout the country with effect from the 1st day of July, 2025.

Provided that such prohibition shall not be applicable for suitable Detonators for Oil well logging operations by oil and gas operator companies for oil exploration and production till 31st Day of December, 2027.

Provided further that manufacture of low resistance ED is permitted for production of Electronic Point Detonating Fuse for supply to the Indian Army till 31st Day of December, 2026.

[F. No. P-13015/45/2021-EXPLOSIVE-Part(1)]

JAI PRAKASH SHIVAHARE, Jt. Secy.